

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

पि० न० 354 / 2025

1. भूराम पुत्र लक्ष्मणराम जाति कुम्हार निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
2. गुड्डी देवी पत्नी रामकिशन जाति कुम्हार निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।

वादीगण

बनाम्

1. महेन्द्र कुमार

2. रामदिता

पि० ख्यालीराम

3. रामनिवास

4. रामप्रताप

5. विजय कुमार पुत्र तिलोकचंद

अकवाम कुम्हार निवासीयान साबुआना तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ़ ।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 21/8/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाषगर्ग व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चकनं० 3 केएचआर के खाता सं० 107/61 प्रतिवादीगण सं० 1 ता 5 के नाम की आराजी के वादीगण सं० 1 व 2 ब०हि०ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन कर चकनं० 3 केएचआर के खाता सं० 107/61 मे से प्रतिवादीगण सं० 1 ता 5 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजरव टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का रथगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/8/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



25
(सत्यनारायण आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।